बिहार की लोककथाएँ

खण्ड–2

(भोजपुरी और मगही)

प्रधान संपादक : विजय कुमार चौधरी

संपादक मंडल :

पद्मश्री डॉ० उषा किरण खान, अध्यक्ष, निर्माण कला मंच
श्री उदय शंकर शर्मा (कवि जी), पूर्व अध्यक्ष, मगही अकादमी
डॉ० अभय कुमार पाण्डेय, भोजपुरी अकादमी
डॉ० दिनेश दिवाकर, आईडिया इवेंट मैनेजमेंट
डॉ० शैलेन्द्र, डिवाईन सोशल डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन

बिहार विरासत विकास समिति
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
बिहार सरकार

2023

बिहार की लोककथाएँ

खण्ड–2

(भोजपुरी और मगही)

प्रधान संपादक : विजय कुमार चौधरी

प्रकाशक : बिहार विरासत विकास समिति
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार
बुद्धमार्ग, पटना–800 001

ई–मेल : heritageofbihar@gmail.com
वेबसाईट : www.bhds.org.in
दूरभाष सं. : 0612–2508445

ISBN : 978-81-961222-2-5

मूल्य : ₹ 520

© बिहार विरासत विकास समिति

वर्ष : 2023

मुद्रक : इंडियन आर्ट्स ऑफसेट
एस.बी.आई का भूतल, महेन्द्रू, पटना–800 006
मोबाईल : 72578 87860, 94310 11172

अनुक्रम

खण्ड - 2

प्रस्तावना

संपादकीय

भोजपुरी

1. चिरई आ बूँट — 3
2. ढोंगी पण्डित — 7
3. मगरमछ के यारी — 9
4. घोड़ा के सिंघ — 11
5. मूर्ख दोस्त — 12
6. सौतेली मतारी — 13
7. चार राजकुमार — 15
8. कुसंगत के प्रभाव — 17
9. चार बराहमन आ पिचास — 18
10. भगत आ भगवान — 19
11. बुढ़िया के बतकही — 21
12. लालची राजा — 23
13. भाग के परी — 24
14. बहिर दोस्त — 29
15. सिआर आ चरवाहा — 30
16. उपमन्यु के परीक्षा — 32
17. सोना के गाँछी रूपा के पत्ता — 35

18. मियाँ जी के फारसी — 37
19. चल्हांक मूस — 38
20. मंगला गौरी — 40
21. बबुइया — 42
22. ऊँट आ सिआर — 47
23. गुरूजी के पक्का चेला — 48
24. चतुर खरगोस — 49
25. कउआ–हंस–बाघ–अहिर–बराहमन के कथा — 50
26. करम के रेखा — 52
27. मोलबी साहेब आ मियाँ — 53

मगही

1.	यार– दिलदार	–	57
2.	अपने राजे राज	–	62
3.	मौनी बाबा	–	64
4.	जगह के दोष	–	67
5.	घमण्डी सियार	–	68
6.	बिना सोंचे कोय काम करे से पछतावा होवऽ है	–	70
7.	गोस्सा विनाश के कारण	–	71
8.	झूठा आडम्बर के फल	–	72
9.	बफादार नउऽआ (नाई)	–	74
10.	दोस के पहचान	–	76
11.	काम के फल	–	77
12.	घमण्डी कुत्ता	–	78
13.	सोनमा दाय (दूध उतर गेल)	–	80
14.	इनरासन के हाथी	–	83
15.	दहीवाली	–	85
16.	राम जलम के खिस्सा आउ बिहार	–	92
17.	रंग जी के बियाह	–	94
18.	राजा के प्रश्न, मंत्री के बेटी के उत्तर	–	96
19.	सिंह–पच्छार	–	99
20.	सोबे से खोबे, जागे से पावे	–	101
21.	अंत भला तो सब भला	–	105
22.	पंछी बोलल चार पहर	–	109

23. असली हाजी — 112
24. उपकार पर फुफकार — 115
25. गोनू ओझा आउ चोर — 117
26. घरनी से घर — 119
27. घुटुरना — 122
28. चलांक सेठानी — 125
29. चार इआर — 128
30. जेसों के तेसों — 135
31. तीन कबर — 138
32. दू–ठग — 141
33. नालायक बेटा — 145
34. पटमंजना — 147
35. बबंडर — 152
36. भिखारी राजकुमार — 154
37. मुंडे खाँ — 158
38. मोतीचूर का भुटटा — 163
39. देखावा — 166
40. लुरगर रहमत खान — 168
41. चलाँकि न लहल — 171
42. सभे के सुनऽ मन के करऽ — 173
43. पाँड़े–पँड़िआइन के भूत — 175
44. हमरे भाबे तोरो सुतवा विकलउ हल का? — 177
45. फैसला — 180
46. ठगो के ठग — 183

47. ओझा के बरात — 188
48. नामें भुलागेल — 190
49. बखोरी साव के गंजन — 192
50. दीना–भदरी — 194
51. सुखनी–दुखनी — 196
52. बालकी बाबा — 198
53. अमर फल — 200
54. वनदेवी — 202
55. उगना — 205
56. बिरूआ के कुईयाँ — 207
57. तीन लिट्टी तीन वरदान — 209
58. आउ बिंदिया जो निंदिया — 211
59. सीत–बसंत — 213
60. नयका बंजारा — 220
61. गढ़ परवतवा के लड़ाई — 222
62. विहुला वाला लखन्दर — 225
63. रानी लचिया — 228
64. दही के चुक्का — 232

बंदना प्रेयषी, भा.प्र.से.
सचिव
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

प्रस्तावना

लोककथायें पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति के संवहन की एक मजबूत माध्यम रही हैं। सामान्यतः परिवार के बुजुर्गों से बच्चे बड़े चाव से स्वाभाविक परिवेश में लोककथाएँ सुनते हैं और इसका अमिट छाप उनके मस्तिष्क पर पड़ता है। किसी भी भाषाई/सांस्कृतिक समूह के संचित अनुभव, मूल्य बोध, व्यवहार के तौर–तरीके आदि का हस्तांतरण लोक–कथाओं के माध्यम से बड़े सुगम तरीके से होता है।

लोककथाओं की एक बड़ी विशेषता इनकी स्थानीयता है। एक ही भाषा/बोली के अन्तर्गत अलग–अलग क्षेत्रों में एक ही लोककथा के कथानक में भिन्नताएँ पायी जाती हैं। यह स्वभाविक भी है, क्योंकि लोककथाओं का प्रसार मौखिक रूप में होता है, एवं इनका कोई मानक लिखित या मुद्रित स्वरूप नहीं होता है। अपनी स्थानीयता एवं भिन्नताओं के कारण ही लोककथाओं का अनूठा सांस्कृतिक महत्त्व है। माटी का गंध तो इन कथाओं में ही समाया है। परन्तु वर्त्तमान काल में जिस तरह से इलेक्ट्रोनिक माध्यमों का व्यापक प्रसार हुआ है, निकट भविष्य में लोककथाओं को संजो कर रखना एक चुनौती है। यही कारण है कि बिहार विरासत विकास समिति द्वारा बिहार की भाषाओं में प्रचलित लोककथाओं को संग्रहित कर मुद्रित करने का निर्णय लिया गया।

मोटे तौर पर बिहार पाँच भाषायी क्षेत्रों में विभाजित है – मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका एवं बज्जिका। भिन्नताओं के बावजूद इन भाषाओं में कई समानताएँ भी है। एक प्रसिद्ध कहावत भी है–कोस–कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी। भाषा के दृष्टिकोण से किसी कथा को किसी एक भाषा–बोली में ही निर्धारित कर देना कठिन है। एक ही भाषा–बोली को बोलने और लिखने में भी अन्तर देखने को मिलता है। मगही के ही कई रूप हमें दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह भोजपुर–बक्सर की भोजपुरी का चम्पारण क्षेत्र की भोजपुरी से स्पष्ट अंतर है। अंगिका, बज्जिका और मैथिली के साथ भी यही है। कई बार कहानी का वाचन उसके प्रस्तुत करने वाले पर भी निर्भर करता है कि वह किस भाषा क्षेत्र का है और उस पर अन्य भाषा और संस्कृति का कितना प्रभाव है।

प्रस्तुत संकलन में बिहार की पाँच भाषाओं यथा – अंगिका, मगही, मैथिली, भोजपुरी और बज्जिका में प्रचलित लोककथाओं का संकलन किया गया है। कहानियों का संकलन विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में बुजुर्ग कथा वाचकों की सहायता से किया गया। इन कथाओं के साथ चित्रों का भी संयोजन का यथासंभव प्रयास कहानी की रोचकता बनाये रखने के लिए किया गया है। इन चित्रों को किलकारी, पटना के बाल कलाकारो ने बड़ी जतन के साथ तैयार किया है। बिहार की लोककथाओं का यह संग्रह इन कथाओं के संरक्षण की दिशा में एक अच्छी पहल है। आशा है यह प्रकाशन नयी पीढ़ी को लोककथाएँ पढ़ने हेतु प्रेरित करेंगी, एवं वे अपनी सांस्कृतिक विरासत की जड़ों से जुड़ सकेंगे।

बन्दना प्रेयषी
सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार सरकार
–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार विरासत विकास समिति

डॉ० विजय कुमार चौधरी
कार्यपालक निदेशक
बिहार विरासत विकास समिति

संपादकीय

किसी परम्परा को गतिमान एवं सजीव बनाये रखने में लोककथाओं की अहम भूमिका है। बड़े–बुजुर्गो से बच्चों तक इन कथाओं का प्रवाह बड़े स्वाभाविक रूप से होता है। कथानक की रोचकता श्रोताओं को बाँध कर रखती है, एवं इसके मूल में यह है कि कथा के संदर्भ आस–पास होने के कारण परिचित होते हैं। कथानक अक्सर सरल होता है, और कभी–कभी चरित्र और घटनाओं को विचित्र बनाकर भी कथा में रोचकता पैदा की जाती है। लोककथाओं में अक्सर जानवरों को पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और इन पात्रों के माध्यम से कई जीवनोपयोगी गूढ़ प्रसंग सरल एवं रोचक ढ़ंग से कह दी जाती है। कई बार अलौकिक पात्र जैसे आधा पशु–आधा मनुष्य, दैत्याकार मनुष्य आदि भी इन कहानियों के नायक होते हैं।

परन्तु लोककथाओं की भूमिका मात्र मनोरंजन तक सीमित नहीं है। इन कथाओं में अंतर्निहित सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्य, पूर्वजों द्वारा संचित अनुभवों का कोष, मानवीय व्यवहार के मानक जैसे तत्व नयी पीढ़ी के समाजीकरण में सहायक होते हैं। लोककथाओं का सम्बन्ध सामाजिक संरचना से होता है। इनका कथ्य किसी समुदाय की एकजुटता को प्रोत्साहित करने वाला, उस समुदाय के सदस्यों की भावनाओं को तुष्ट करने वाला एवं साथ ही किसी बाहरी समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला भी हो सकता है। लोककथाओं का संबंध समुदाय के मनोविज्ञान से भी है; कुछ कथाएँ समुदाय के अतृप्त इच्छाओं को अभिव्यक्त करने वाली होती है। इन कथाओं में प्रचलित विलक्षण पात्र समुदाय की सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आकंक्षाओं को प्रतीकात्मक रूप में प्रतिनिधित्व करने वाला हो सकता है। किसी लोककथा के विश्लेषण में यह निर्धारण करना आवश्यक है कि कथा गढ़ने वाले, कहने वाले और सुनने वाले समाज के किस श्रेणी से आते हैं। लोककथाओं का समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किसी समाज को समझने में बहुत उपयोगी होता है।

ऐतिहासिक अध्ययन में लोककथाओं का उपयोग मौखिक श्रोत के रूप में स्थापित हो चुका है। यह महसूस किया गया कि परम्परागत लिखित साहित्य अक्सर समाज के प्रबल वर्ग के विमर्श को सामने लाती है, एवं इसमें वंचित श्रेणी के लोगों का प्रतिनिधित्व न्यून होता है। इसके उलट, लोककथाओं में वंचित एवं सीमान्त वर्ग भी अभिव्यक्ति पाते हैं। परन्तु लोककथाओं को श्रोत के रूप में

उपयोग करने में यह कठिनाई है कि इनकी ऐतिहासिकता का निर्धारण एक दुरूह विषय है। लिखित कहानियों की तरह लोककथाओं के रचयिता एवं रचना का कालखंड ज्ञात नहीं होता है। कुछ कथाओं की प्राचीनता गहरी हो सकती है, कुछ कथायें विगत दशकों की भी हो सकती हैं, जबकि कुछ की सामग्री में समय के साथ बदलाव होती रहती है। इन कथाओं की सामग्री के विशलेषण से इनकी ऐतिहासिकता के बारे में कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि किसी कथा में आधुनिक काल में विकसित साधनों, संस्थाओं, मानकों आदि प्रयुक्त हुये हैं तो इसकी प्राचीनता अधिक नही है, या इनमें हाल में परिवर्तन किया गया है। भाषा की शैली के विशलेषण से भी लोककथाओं के समय के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न कालखंडों में भाषाओं की शैली, शब्द, वाक्य–विन्यास आदि में स्पष्ट अंतर होते हैं। एक ही लोककथा के विभिन्न रूपों के अध्ययन से पता चलेगा कि इनमें कौन सी सामग्री सभी में साझा हैं, और यह साझा सामग्री मूल कथानाक को इंगित कर सकता है।

बिहार में प्रचलित भाषाएँ–मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका एवं बज्जिका बिहार के विभिन्न प्राकृतिक खंडो में विकसित हुयी। दक्षिण बिहार में प्रचलित भाषाएँ भोजपुरी, मगही एवं अंगिका क्रमशः कर्मनाशा–सोन, सोन–किउल एवं किउल–गंगा दोआबों में केंद्रित है। इसी प्रकार उत्तर बिहार में घग्गर–बूढी गंडक दोआब में भोजपुरी, मैथिली एवं बज्जिका है, जबकि बूढी गंडक–महानन्दा दोआब में मैथिली का प्रचलन है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन भाषाओं का उद्‌भव लगभग 11–12 सदी में माना जा सकता है, क्योंकि मैथिली, मगही एवं भोजपुरी भाषाओं के शब्द एवं वाक्य–विन्यास के कुछ उदाहरण तत्कालीन सिद्ध साहित्य में मिलते हैं। इन भाषाओं में लोककथाओं का एक समृद्ध खजाना है। एक ही भाषाई क्षेत्र में अलग–अलग स्थानों में भी भिन्न कथाएँ, अथवा एक ही कथा के भिन्न रूप प्रचलित होते हैं। सामान्यतः लोककथाएँ लिपिबद्ध नहीं होती है, इसलिये इनके मौखिक संवाहन से भी कई प्रकार की भिन्नताएँ उपजती हैं। इस प्रकार की भिन्नताएँ संस्कृति को एकरस एवं एकरूप होने से बचाती हैं।

वर्त्तमान समय में संस्कृतियों की भिन्नताएँ लोप हो रही हैं, एवं संस्कृति की एकरसता का संकट प्रबल हो रहा है। पाश्चत्य जगत का सामरिक–आर्थिक प्रभुत्व सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अभिव्यक्त हो रहा है एवं पूरे विश्व में एक ही प्रकार के नीरस सांस्कृतिक बिंबो का जोर दिखता है। इलेक्ट्रोनिक मिडिया एवं इंटरनेट ने एक ही प्रकार की संस्कृति के वर्चस्व को स्थापित करने एवं स्थानीय संस्कृतियों के महत्व को न्यून करने में एक नकारात्मक भूमिका निभायी है। उदाहरण के लिये, भारत में व्यवसायिक सिनेमा एवं टी.वी. चैनल्स ने पूरे देश में मनोरंजन का एक विशेष एजेन्डा निर्धारित कर दिया है। सतही फिल्मी कहानियों का वर्चस्व न केवल गंभीर साहित्यिक कथाओं के प्रति रूचि समाप्त कर रहा है, बल्कि स्थानीय रंगमंच, लोककथाओं आदि के अस्तित्व मात्र के लिये खतरा बन गया है।

विगत वर्षों में बिहार में भी लोककथाएँ कहने–सुनने की परंपरा बहुत कमजोर पड़ गयी है और सदियों से प्रचलित लोककथाओं के विस्मृति के गर्भ में विलीन होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है। बिहार विरासत विकास समिति द्वारा इसी चुनौती को दृष्टि में रखकर लोककथाओं को लिपिबद्ध कर संरक्षित करने का निर्णय लिया गया। बिहार विरासत विकास समिति के गठन का मूल ध्येय ही राज्य की मूर्त्त एवं अमूर्त्त विरासत का संरक्षण है। वर्त्तमान पुस्तक अमूर्त्त विरासत की संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है। लोककथाओं को उनकी मूल भाषा में संग्रहित करने का मुख्य उद्देश्य इनके मौलिक रूप को संरक्षित करना है।

यह पुस्तक दो खण्डों में प्रकाशित किया जा रहा है; प्रथम खंड में मैथिली, अंगिका और बज्जिका भाषाओं में प्रचलित कथाओं का संग्रह है, एवं दूसरे खंड में मगही और भोजपुरी लोककथायें प्रस्तुत की जा रही है। जो कथाएँ दो या अधिक भाषाओं में पायी जाती हैं, उनकी पुनरावृति प्रांसगिक भाषाओं में की गयी हैं, क्योंकि अलग–अलग भाषा में एक ही लोककथा कहने की शैली भिन्न होती है, एवं इनको भी अभिलेखित एवं संरक्षित करना आवश्यक है।

लोककथाओं को संग्रहित करने में लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों, भाषा अकादमियाँ एवं एजेन्सियों का सक्रिय सहयोग रहा। मैं पद्मश्री प्रो० उषा किरण खान, अध्यक्ष, निर्माण कला मंच को मैथिली, श्री उदय शंकर शर्मा (कवि जी) पूर्व अध्यक्ष, मगही अकादमी को मगही, डॉ० अभय कुमार पाण्डेय, भोजपुरी अकादमी को भोजपुरी, डॉ० दिनेश दिवाकर, आईडिया इवेंट मैनेजमेंट को अंगिका एवं डॉ० शैलेन्द्र, डिवाईन सोशल डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन को बजिज्का में प्रचलित लोककथाओं को संग्रह और लिपिबद्ध करने एवं इनका संपादन करने में मूल्यवान सहयोग देने हेतु हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं बिहार विरासत विकास समिति के डॉ० अमित रंजन, शोध सहायक को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक के संपादन में मेरी सहायता की है। ई० सैयद आले अहसन, इंडियन आर्ट्स ऑफसेट, भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने भिन्न भाषाओं की लोककथाओं को परिश्रमपूर्वक मुद्रित किया। किलकारी के बाल–कलाकारों के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने अपने रेखाचित्रों से प्रस्तुत लोककथाओं को सजीव कर दिया है।

विजय कुमार चौधरी